Volume-7, No. 1 Feb.-2020, pp. Hin.23-25

21वीं शताब्दी में बदले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आयामों में भारतीय महिला

मिस. स्वेता चौधरी, शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
आर0जी0 (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ उत्तर–प्रदेश भारत।

सारांश–
21वीं सदी महिलाओं की सदी मानी जा रही है। किन्तु यह बात तभी सच साबित होगी, जब महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके अधिकारों की प्राप्ति की निश्चितता होगी। किन्तु ऐसा होना तभी सम्भव होगा, जबकि पुरुषवादी मानसिकता और दृष्टिकोण में सुधार एवं बदलाव आएगा। साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में भी महिलाओं की समानता, न्याय व प्रभावी भागीदारी के ऊपर आधारित दृष्टि से देखने वाला परिवर्तन लाना होगा। नई पीढ़ी में भी महिला सम्मान सर्वोपरि समझने की सोच को पुनः जागृत करना होगा। 20वीं सदी में महिलाओं के जीवन–यापन एवं उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास की दिशा में जो पहल शुरू की गयी है, वह 21वीं सदी में अधिक शक्ति से चलाया जाना चाहिए एवं जागरूकता साक्षरता चेतना, और आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से महिलाओं को और सशक्त किये जाने की आवश्यकता है। ताकि वह तथाकथित शोषण, अत्याचार से मुक्त हो सके एवं अधिकारिता सम्पन्न स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन बिता सके।

मुख्य शब्द–महिला सशक्तिकरण, आर्थिक एवं सामाजिक आयाम।

समस्या कथन–
महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सम्पूर्ण विश्व में विभिन्न नारीवादी आन्दोलनों विशेष रूप से तृतीय विश्व के नारीवादी लेखकों के बीच हुए विभिन्न आलोचनात्मक संवादों व वाद–विवादों का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण के अनेक निहितार्थ है। वस्तुतः नारी सशक्तिकरण का प्रश्न बहुआयामी है, किन्तु मूल रूप में यह महिलाओं के बुनियादी मानव अधिकारों का प्रश्न है। लोकतांत्रिक मानकों के अनुरूप यह महिलाओं के मूल लोकतांत्रिक अधिकारों का भी प्रश्न है। साथ ही यह मात्र विधि सुरक्षा नहीं, प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता का प्रश्न है– सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यैक्तिक, सामूहिक, वैश्विक आदि सभी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति या सत्ता दिया जाना है अर्थात् महिला को अधिक सुविधापूर्वक कार्य करने के लिए उनमें चेतना एवं उन क्षमताओं का विकास किया जाना है ताकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा सकें।

प्राचीन भारत की सांस्कृतिक परिकल्पना का स्वरूप रहा है कि ''यत्र नारी नार्यस्तु पुज्यनते रमन्ते तत्र देवता'' अर्थात् जहां नारी की पूजा होती हैं वहां देवता निवास करते हैं। भारत में अतीत से नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है, उसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है, परंतु गत वर्षों में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां यह बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक हैं, वहीं अधिकांश जगहों पर ये बदलाव नारियों के प्रतिकूल भी साबित हो रहे हैं।

आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान–
संविधान निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व, पुरुषों की तुलना में कम था। (संविधान सभा में कुल 13 महिलाएं थी) किन्तु प्रस्तावना के दर्शन से ही लिखित संविधान की धाराओं में मानवीय प्राकृतिक सम्बन्धों को प्रदर्शित किया है, जिसमें मूलतः मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के सात राज्य के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर 'नीति निदेशक तत्वों' का प्रावधान किया। जिसके अन्तर्गत बिना लिंग भेदभाव, नस्ल, जाति, धर्म, सम्प्रदाय के निश्चित किया गया कि समस्त नागरिक व मानव समुदाय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गरीमा पूर्ण वातावरण दिया जाएगा। जिसमें कुछ अनुच्छेद (14) या अनुच्छेद 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 32, 39, 42, 44 आदि उल्लेखित है। संविधान में उल्लेखित पद या अन्य किसी नियुक्ति में बिना लिंग भेदभाव, जाति, धर्म के नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। जिसके परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, संघलोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित अखिल

भारतीय सेवाओं में महिला प्रतिनिधित्व ने अपने नेतृत्व की दक्षता को प्रभावी पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। उक्त कार्यशैली से, महिलाओं की कार्य की प्रकृति पर बहस एक निश्चित के बाद सतह पर आई। इसका श्रेय स्वतंत्रतापूर्ण की अवधि में राष्ट्रीय नियोजन समिति की उपसमितियों को जाता है। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता के अर्थ की महत्ता और घरेलू कार्य के आर्थिक मूल्य की सार्थकता पर बल दिया। यह खेदजनक था कि कई घटनाओं के क्रम और स्वतंत्रता के मुद्दे में यह रिपोर्ट लुप्त हो गई। स्वतंत्रता के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट ''समानता की ओर'' (भारत में महिलाओं की परिस्थिति पर समिति की रिपोर्ट 1974) जिसमें आर्थिक कार्यों, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में, महिलाओं के योगदान की उपेक्षा पर प्रकाश डाला गया था। यह स्पष्ट घोषित हो गया था कि अभी तक भी भूमि का एक उल्लेखनीय हिस्सा (इसमें जंगल, लकड़ी इकट्ठा करना, चरागाह और भूमि के दूसरे बहुपयोगी प्रयोग) सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध था। सार्वजनिक ग्रामीण भूमि और जंगल महिलाओं को, विशेषकर गरीब महिलाओं को, आर्थिक संबल प्रदान करते थे क्योंकि सार्वजनिक भूमि उनकी आर्थिक सहायता का स्रोत था जिससे उन्हें भूमि पर चराई और संग्रहण का महत्वपूर्ण अधिकार मिल जाता था। सार्वजनिक भूमि की इस तरह का उपलब्धता औपनिवेशिक काल और उत्तर औपनिवेशिक काल में काम होती गई और सत्य का प्रभुत्व सार्वजनिक भूमि और जंगलों पर बढ़ता गया। परिणामस्वरूप चुनिंदा लोगों को ही इसकी छूट मिली। इसने ग्रामीण महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पर्यावरण के क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग ने महिलाओं की विपत्ति में वृद्धि की क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पानी, ईंधन और चारे का गंभीर संकट पैदा हो गया। महिलाओं को एक घड़े पानी या गाय, बैल, घोड़ा आदि के लिए चरागाही भूमि का पता लगाने के लिए मीलों चलना पड़ता है।

आधुनिक सामाजिक व आर्थिक नीतियों का प्रभाव–

भारत ने 90 के दशक के प्रारंभ से ही उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रवाह से सामंजस्य बनाते हुए आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। आर्थिक कारणों के साथ वर्ग, जाति, लिंग और धर्म के जटिल अंर्तसंबंध के कारण सामान्यता जनता और विशेषतः महिलाओं के जीवन पर आर्थिक नीतियों के प्रभाव का सुसंगत चित्र आरेखित करना संभव नहीं है। संरचनात्मक समझौते का कार्यक्रम, विभिन्न देशों के साझेदारों के साथ सहयोग करना और प्रौद्योगिकी पर गहरे विश्वास ने देश में प्रतिस्पर्धा और लाभ की शक्तियों के लिए मार्ग खुला छोड़ दिया। बाजार के मुख्य खिलाड़ी होने के कारण उत्पादों की कीमत मे कमी भी सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गई, जिसका परिणाम यह निकला कि बड़ी संख्या में कांट–छांट और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसी घटनाएं होने लगी। इसलिए श्रमिक जीवित रहने के लिए अनुबंध अनियमित मजदूर गृह आधारित कार्यों की ओर प्रवृत होने को मजबर हो गए। लाभदायक बाजार के साथ विदेशी निवेशक इस स्थिति में मदद नहीं करते।

सामाजिक प्रभाव–

वैश्वीकरण के बाद, 21वीं शताब्दी महिलाओं के सामाजिक जीवन में बदलाव दिखे। जहां महिलाओं ने सार्वजनिक स्थलों पर कार्य करने की प्रकृति, स्वच्छंद से विचरण, प्रजनन व परिवार नियोजन में निर्णयात्मक भूमिका में बढ़ते प्रभाव से महिलाएं स्वयं को मानवीय जीवन में सुरक्षित कर रही है। लेकिन वैश्वीकरण से आए भारतीय समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति ने एकल परिवार की प्रकृति, बच्चों के लालन–पालन में कमी से कुपोषण समुदायिक बीमारियां का विकास एवं वृद्ध माता–पिता की आर्थिक व सामाजिक संरक्षण में ह्रास से स्थाई परिवार समाज की प्रकृति क्षीण होती चली गई इसमें आए नकारात्मक परिवर्तनों ने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता के विकास को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष–

महिलाएं परिवार में देख–रेख की जितनी गतिविधियां का निर्वाह करती है, वह कुल मानवीय गतिविधियों का केन्द्र है। परिवार का रख–रखाव, बीमार, वृद्ध और बच्चों की देखरेख में महिला का भरपूर योगदान होता है। ये कार्य महिला द्वारा ही बेहतर ढंग से किया जाता है। महिला उत्पादक और पोषणकर्ता होती है। हालांकि यह पुनरुत्पादक भूमिका जो महिला अपने परिवार, समुदाय और विश्व के लिए करती है। गरीबी के बढ़ते आंकड़े, स्त्रीलिंगीकरण, आर्थिक विकास की गतिविधियों में महिला सहभागिता का घटता स्तर, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में महिलाओं की अल्प भूमिका, शक्ति संतुलन एवं निर्णयात्मक भूमिका में महिलाओं की अपर्याप्त पहचान, महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन, संचार माध्यमों में महिलाओं की नकारात्मक भूमिका, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं की भूमिका को लेकर पुरुषों का असंतुलित आंकलन ऐसे पक्ष है। जहां ठोस प्रयास, जन सामान्य की प्रतिबद्धता व सामाजिक सोच में वांछनीय बदलाव के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को सही अर्थों में अभिव्यक्ति दी जानी परमावश्यक है।

महिला को स्वयं अपने सशक्तिकरण के संदर्भ में ऐसे 'स्व' का निर्माण करना होगा, जिससे बौद्धिकता रचनात्मकता, स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास का समन्वय हो। उन्हें विश्वास, मूल्यों एवं दृष्टिकोणों को निर्धारित करने की क्षमता अर्जित करनी होगी एवं सोचने व समझने की योग्यता का संवर्द्धन करना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. असांरी, एम.ए. (2000) राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
2. व्होरा, आशारानी, (2005) औरत आज, कल और कल, कल्याणी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
3. खान काही निश्तर, डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल (2000) नारी कल और आज, हिन्दी साहित्य निकेतन, उ0प्र0।
4. सक्सेना, श्रीमति वन्दना (2004) महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली।
5. श्रीवास्तव सुधारानी एवं रागिनी श्रीवास्तव, (2001) मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कॉमनवैल्थ, दिल्ली।
6. प्रो0 मान चन्द्र खंडैला, (2008) महिला और बदलता सामाजिक परिवेश' आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
7. महिलाएं तथा शासनः राज्य की पुनर्कल्पना, एक रपट, सोसायटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेट्विस फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002।
8. भारत सरकार, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की समय के उपयोग संबंधी सर्वेक्षण की रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2002।

पत्रिकाएं–

1. इण्डिया टडे 'थाम्सन प्रेस बिल्डिंग', देहली।

सरकारी सूचनाएं एवं रिपोर्ट–

1. भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सरदार पटेल रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।